

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़ जिला-राजसमन्द

सी संख्या..... 75 सन् 2025 ..... किस्म मुकदमा ..... वाद

भैरुसिंह बनाम देवीचिंह

क्र. सं.	आदेशिका	हस्ताक्षर/सूचना
----------	---------	-----------------

30<sup>6</sup>/<sub>25</sub> वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्ट्र हो कर पेश हुआ है। अतः प्रतिवादी की तलबी जरिये सम्मन मध्य नकल वाद पत्र से की जा कर पत्रावली जवाब हेतु दिनांक 7-8-25 को पेश हो।

7<sup>8</sup>/<sub>25</sub> पत्रावली पेश हो जाने पर अधिकारीजी निम्नलिखित कार्य में लगे हुए हैं। अतः आदेश की पालना में दिनांक 18-8-25 को पेश हो।

18/9/25 पत्रावली पेश हुई। ~~अधिकारी~~ उनके अधिकार को उपस्थित नहीं है। न्यायद्वारा के उपस्थित होने हेतु अवसर दिया जाता है। प्रतिवादी गण के सम्मन ताम्रिल। अतः सम्मन पेश करे। अतः सम्मन पेश करे। पेश होने पर जारी है। पत्रावली दिनांक 29/11/26 को पेश हो।

29/11/26 पत्रावली पेश हुई। अधिकारी उपस्थित हैं। अधिकारी द्वारा राजीनामा लेने से प्रकरण के आगे कार्यवाही नहीं-गाएने कारनिवेदन किया है। अधिकारी द्वारा प्रकरण में जारी कार्यवाही नहीं-गाएने से प्रकरण इसी स्तर पर स्वारिज छोड़ा जाता है। पत्रावली प्रकरण सुनाए होकर नम्बर से कागद का कारिख दफ्तार है। निम्नलिखित सुक्रे न्याय पत्र सुनाया गया।

राजीनामा लेने से कार्यवाही नहीं-याहल है।



सहायक कलक्टर  
(एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ़  
जिला-राजसमन्द